पत्रांक :– वि॰प्रा॰(III)यो॰–35/2018/732

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक), बिहार
वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

/पटना, दिनांक 25-2-19

विषय : ए.आई.सी.टी.ई. के मापदण्ड के अनुसार विभागान्तर्गत 2 (दो) अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा 10 (दस) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के परिसर में वर्गकक्ष, स्टाफ रुम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय के लिए तत्काल पोर्टेबुल केबिन के निर्माण कार्य हेतु कुल रु0 23,85,66,700=00 (तेईस करोड़ पचासी लाख छियासठ हजार सात सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 15,00,00,000=00 (पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पत्रांक–HQ–614 दिनांक 13.02.2019 दिनांक 14.02.2019 के द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी प्राक्कलन के आधार पर तथा दिनांक–14.02.2019 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति के अनुशंसा के आलोक में ए.आई.सी.टी.ई. के मापदण्ड के अनुसार विभागान्तर्गत 2 (दो) अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा 10 (दस) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के परिसर में वर्गकक्ष, स्टाफ रुम, प्रयोगशाला, पुस्तकालय के लिए तत्काल पोर्टेबुल केबिन के निर्माण कार्य हेतु कुल रु0 23,85,66,700=00 (तेईस करोड़ पचासी लाख छियासठ हजार सात सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 15,00,00,000=00 (पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि का वित्तीय वर्ष 2018–19 में नियमानुसार राज्य स्कीम बजट के मुख्यशीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104– बहुशिल्प, मांग सं0–43, उपशीर्षादि–0102–पोलिटेकनिक/इंजिनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय के अधीन विषशीर्ष–5301 में तृतीय अनुपूरक में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड–43–4202021040102 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (त0) निदेशालय, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग होंगे।

4. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना स्थित महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस, भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना के नाम से खोले गये पी०एल०ए०–157 (K-8448001200007) में जमा किया जायेगा।

5. उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018–19 में संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अन्तर्गत रहेगी।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प सं०–3758 दिनांक–31.05.2017 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना

Scanned by CamScanner

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰(III)यो॰–35/2018/ /पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰(III)यो॰–35/2018/ /पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी सचिवालय, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰(III)यो॰–35/2018/ /पटना, दिनांक –

प्रतिलिपि :– महानिदेशक–सह–अध्यक्ष–सह– प्रबन्ध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– वि॰प्रा॰(III)यो॰–35/2018/732 /पटना, दिनांक – 25-2-19

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक/उप निदेशक (यो॰)/उप निदेशक (त०)/लेखाशाखा (दो प्रति)/बजट सहायक/आई॰टी॰ मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

Scanned by CamScanner